निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 302) पटना, शुक्रवार, 12 अप्रील 2013

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचनाएं

10 अप्रील 2013

सं0 बिक्री–कर/विविध–43/2011–1203——बिहार मुल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप–नियम (*8*) के तृतीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त अधिसूचना संख्या 6598, दिनाक 08. 10.2012, संख्या 1506, दिनांक 12.04.2012, संख्या 1330, दिनांक 15.04.2011, संख्या 2304, दिनांक 27.05.2010 तथा संख्या 2095, दिनांक 15.06.2009 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसायियों की श्रेणी के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणी के व्यवसायियों के लिए अनिवार्य रूप से सभी विवरणियों इलेक्ट्रॉनिक रीति से विभागीय वेबसाईट पर करने का आदेश देते हैं:–

(क) वैसे सभी निबंधित व्यवसायी जो केवल राज्यांतर्गत वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री संव्यवहार करते हों तथा जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान अथवा उसके बाद की किसी अवधि में पचास हजार रूपयों से अधिक कर भुगतान किया गया हो;

2. यह अधिसूचना दिनांक **15 जून, 2013** की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

आयुक्त, वाणिज्य–कर।

The 10th April 2013

No. Bikri Kar /Vividh-43/2011-1203—In exercise of powers conferred by third proviso to sub-rule (8) of Rule 19 of Bihar Value Added Tax Rule, 2005 the Commissioner is pleased to direct that, in addition to the dealers required by Departmental Notification Numbers 6598, Dated 08.10.2012, 1506, Dated 12.04.2012, 1330, Dated 15.04.2011, 2304, Dated 27.05.2010 and 2095, Dated 15.06.2009 to furnish return electronically on the departmental website, the following category of dealers shall be required to furnish all returns required to be furnish by them compulsorily by electronic means on the departmental website:-

(a) all registered dealers who sale and purchase goods only from or to within the State and have paid more than fifty thousand rupees by way of tax during financial year 2012-13 and in respect of any subsequent year.

2. This notification shall come into force with effect from **15th June, 2013.**

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner, Commercial Taxes.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 302-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in